भाग–III

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जुलाई, 2024

संख्या का०आ० 38/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024 कहे जा सकते है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष।

(ग) ''जिला परिषद्'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होगें, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

जिला परिषद् की संरचना।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए जिला परिषद् की स्थापना करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) उपायुक्त–अध्यक्ष,

(ख) पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष,

(ग) नगराधीश–सदस्य,

(घ) नागरिक अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य,

(ड) जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक–सदस्य सचिव,

(च) उपायुक्त कार्यालय का जिला न्यायवादी –सदस्य,

(छ) उपायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य के किसी अन्य विभाग के दो से अनधिक प्रतिनिधि–सदस्य,

(ज) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, शिक्षाविदों, किसानों, व्यापार या उद्योग में से राज्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य, जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

जिला परिषद् का कार्यकाल।

4. जिला परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः

परन्तु जिला परिषद् तीन मास की और अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किए जाने तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का त्याग–पत्र।

5. कोई भी गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए स्व–हस्ताक्षरित लिखित में नोटिस देते हुए, जिला परिषद् से त्याग–पत्र दे सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति।

6. (1) नियम 5 के अधीन किसी गैर–सरकारी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा गैर–सरकारी सदस्य के समरूप प्रवर्ग से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर बना रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर बना रहने का हकदार था।

कार्य समूह।

7. (1) अधिनियम के अधीन कार्यो को निष्पादन करने के प्रयोजन हेतु, जिला परिषद् इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यो का निष्पादन करेगा, जो जिला परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाऐगें।

(2) जिला परिषद् प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित ऐसे कार्य सौंपेगी, जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।

(3) कार्य समूह, अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगें।

(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षो को जिला परिषद् के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

कार्य संचालन के लिए जिला परिषद् की बैठके।

8. (1) जिला परिषद् की बैठकें साधारणतया परिषद् के जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगीः परन्तु जिला परिषद्, जब अध्यक्ष का यह मत हो कि ऐसा करना उपयुक्त हैं, जिला में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।

(2) जिला परिषद् जब भी आवश्यक हो, बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम–से–कम दो बैठकें आयोजित करेगी।

(3) जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(4) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में, जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए जिला परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(5) जिला परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तिथि से कम–से–कम सात दिन पहले डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित नोटिस देते हुए बुलाई जा सकती है।

(6) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक के नोटिस में बैठक का समय, तिथि और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(7) जिला परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी।

(8) जिला परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(10) किसी रिक्ति के होने अथवा जिला परिषद् के गठन में किसी दोष के होने मात्र से जिला परिषद् की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहराई जाएगी।

व्यय और बैठक फीस की प्रतिपूर्ति।

9. (1) जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्य, जिला परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतु, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में यथा विहित ग्रेड–।।। में हरियाणा सरकार के श्रेणी–। के अधिकारी को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगें।

(2) जिला परिषद् के सभी सरकारी सदस्य, जिला परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतू हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के अनुसार यथा लागू यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मूल विभाग से प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा, जिला परिषद् के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वह जिला परिषद् अथवा इसके किसी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

डॉ0 सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 24th July, 2024

No. S.O. 38/C.A. 35/2019/S.102/2024.— In exercise of the powers conferred by section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the District Consumer Protection Council Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (Central Act 35 of 2019);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the District Council;

(c) "District Council" means the District Consumer Protection Council in the State established under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(2) The words and expressions used herein, but not defined, and defined in the Act shall have the meaning as assigned to them in the Act.

Composition of District Council.

3. (1) The State Government shall by notification in the official gazette, establish for every District, a District Council which shall consist of the following members, namely;

(a) Deputy Commissioner-Chairperson;

(b) Superintendent of Police-Vice Chairman;

(c) City Magistrate-member;

(d) Chief Medical Officer of Civil Hospital-member;

(e) District Food and Supplies Controller-Member-Secretary;

(f) District Attorney of the Deputy Commissioner office-member ;

(g) Not more than representatives of any other department of the State to be nominated by the Deputy Commissioner- members;

(h) Not more than three non-official members who have specialization and proven expertise and experience in representing consumer interests, drawn from amongst consumer organizations, consumer activists, research and training organizations, academicians, farmers, trade or industry in the respective district be nominated by the State Council ;

Term of District Council.

4. The term of the District Council shall be three years:

Provided that the District Council shall continue to function for a further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.

Resignation of non-official member of District Council.

5. Non-official member may resign, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the District Council.

Vacancy caused by resignation of Non-Official member.

6. (1) A vacancy caused by the resignation of any non-official member shall be filled by a fresh appointment from the same category of non-official member by the State Government.

(2) The person appointed to fill the vacancy caused by the resignation of a non-official member under rule 5 shall hold office only for the period of time that the original non-official member would have been entitled to hold office had the vacancy not occurred.

Working Groups.

7. (1) For the purposes of performing its functions under the Act, the District Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such task as assigned to it by the District Council.

(2) The District Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference, and which shall also include the time-period within which such tasks to be completed.

(3) The working groups shall report to the Chairperson.

(4) The findings of each working group shall be placed before the Chairperson for consideration.

(5) The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constituted.

Meetings of District Council for transaction of business.

8. (1) The meetings of the District Council shall be held at District Headquarter provided that the council may also hold its meeting at any other place in District, wherever in the opinion of the Chairperson it is expedient to do so.

(2) The District Council shall meet as and when necessary but not less than two meetings be held every year.

(3) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting of the District Council.

(4) In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting of the District Council shall be presided over by the member of District Council, elected for this purpose.

(5) A meeting of the District Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member by the member Secretary at least seven days before the intended date of the meeting by post or through e-mail to facilitate speedy communication.

(6) The notice for every meeting of the District Council to intimate the time, date, place and the items of agenda for the meeting.

(7) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the District Council except with the permission of the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member presiding over the meeting, as the case maybe.

(8) The draft minutes of each meeting of the District Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of each meeting and be submitted to the Chairperson or the Vice-Chairperson or to the member who presided over the meeting for approval.

(9) The draft minutes of each meeting of the District Council approved by the Chairperson or the Vice-Chairperson or the Member who presided over the meeting shall be forwarded to each Member of the District Council as soon as possible for adoption at the next meeting.

(10) No proceedings of the District Council shall be invalid merely by reasons of any vacancy or any defect in the composition of the District Council.

Reimbursement of expenses and sitting fees.

9. (1) Non- official members of the District Council shall be entitled to avail the Travelling Allowance/Daily Allowances as per Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016 as applicable to the Class-I Officer of the Haryana Government in Grade-III for the purpose of attending meetings of the State Council or the working groups.

(2) All official members shall be entitled to avail the Travelling Allowance/Daily Allowance as per Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016 from the parent Department for the purpose of the attending meeting of the District Council or the working groups.

(3) Every claim made under sub-rule (1) shall be subject to the member of the District Council certifying that he shall not claim any benefit from any other Department or Organization of the State Government during his visit for the purpose of attending the meeting of the District Council or any of its working groups.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.

11206—L.R.—H.G.P., Pkl.